



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



संख्या: 7/1/2021-हिन्दी /3964-72

दिनांक: 01-12-2023

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा नीति प्रेरणा एवं प्रोत्साहन पर आधारित है। राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ समय-समय पर कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं उसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की स्थिति का पता लगाने के लिए कार्यालय का भौतिक निरीक्षण भी आवश्यक होता है। इस निरीक्षण में पाई गई कर्मियों पर विस्तृत विचार विमर्श कर उसका निराकरण भी किया जाता है।

मुख्यालय में दिनांक 06.12.2023 को हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण कार्यक्रम किया जाना है। यह निरीक्षण कार्यक्रम साकेत कार्यालय स्थित लेखा शाखा, प्रशासन एवं सामान्य अनुभाग के लिए रखा गया है।

अतः संबंधित अनुभाग से पिछले एक वर्ष की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट, रजिस्टर, पत्राचार रजिस्टर, मोहरें, गार्ड फाइल प्रयोग में लाए जा रहे मानक मसौदे, फार्म आदि फाइलों पर टिप्पणियों आदि संगत दस्तावेजों सहित सहयोग की अपेक्षा है।

(डॉ. दिलीप कुमार)

निदेशक (तकनीकी) एवं

राजभाषा अधिकारी

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. निदेशक (तक.)
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (एम.डी.यू.)
4. उपनिदेशक (प्रशा.)
5. अधीक्षक अभियंता (उ.)
6. अधीक्षक अभियंता (द.)
7. कार्यपालक अभियंता (मुख्या.)

सूचनार्थ

1. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव
2. मुख्य अभियंता (मुख्या.) के निजी सचिव